न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 76/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

मृत्युंजय सहारण पुत्र श्री अजय कुमार सहारण जाति जाट, उम्र 20 वर्ष, निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

.....वादीगण

बनाम

1. अजय कुमार सहारण पुत्र महावीर सहारण
2. आस्था सहारण पुत्री अजय कुमार सहारण
3. आर्या सहारण पुत्री अजय कुमार सहारण

} अकवाम जाट, निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जि. श्रीगंगानगर

4. प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लि. शाखा श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री मनोहर लाल सहारण	वादी
अधिवक्ता श्री पवन कुमार शाक्य	प्रतिवादी 1 ता 3
पैरोकार राज	प्रति.–5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.11.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि हसील श्रीगंगानगर के चक 20 एल. एन. पी. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नं. 0, के मुरब्बा नं. 2 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.3250 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 10, 11, 20, 21 में 1.0120 हैक्टयर नहरी कुल 7.3370 हैक्टयर नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 (वर्ष 2019) से स्थायी शामिल वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 एचएच के मुरब्बा नं. 38 में 8.05 बीघा व तहसील सादुलशहर के चक 20 एस.पी.एम. मुरब्बा नं. 21, 22 की 21 बीघा रकबा कुल 29.05 बीघा मुताबिक जमाबन्दी खातेदारी दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी साथ संलग्न वाद पत्र है। उपरोक्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है वह जद्दी जायदाद है जो प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन स्वर्गीय चौ. धन्नाराम से प्राप्त हुआ है। नकल इंतकाल साथ संलग्न वाद पत्र है। खाता सांझा रहने से लगान व आबियाना देने में, पानी की भराई, खिंचाई में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कते आती है व सरकारी अनुदान व बैंक ऋण सुविधा का पूरा फायदा नही मिल पाता। इस कारण हक व हिस्सानुसार, कब्जा काश्त अनुसार खाता तकसीम करवाना आवयश्क व जरूरी हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने काश्त की सहूलियत, अच्छी आबपाशी अनुसार, हक व हिस्सानुसार आपसी प्रेम भाव को कायम रखते हुए आज से करीबन 2 वर्ष पूर्व घरेलू बंटवारा कर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

लिया था इस घरेलू बंटवारानुसार प्रत्येक पक्ष अपने हक व हिस्सा के रकबा पर काबिज है व बिना किसी विघन के अपने हक व हिस्सा के रकबा का उपयोग, उपभोग करता आ रहा है। 8. यह कि घरू बंटवारानुसार उपरोक्त 7.3370 हैक्टयर रकबा जो चक 20 एल. एन.पी. का है वह वादी के हिस्सा में आया है व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 एचएच के मुरब्बा नं. 38 की 8.05 बीघा रकबा व तहसील सादुलशहर के चक 20 एस.पी.एम. के मुरब्बा नं. 21, 22 की 21 बीघा कुल 29.05 बीघा हक व हिस्सा में आया है व प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने जद्दी जायदाद में अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया है इसलिए उनको कोई हिस्सा नही दिया गया है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि जिस प्रकार प्रत्येक पक्ष के हक व हिस्सा में रकबा आया हैं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति के ब्यान कर दो ताकि सबका खाता विभाजन हो जावें। पहले तो वह आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो आपके पक्ष में सहमति के ब्यान नही करते है और ना ही आपके पक्ष में खाता तकसीम करवाते हैं आपको जो करना है सो कर लो. बस यही बिनाय दावा है जो वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ। प्रतिवादीगण को इस बात का इल्म होने पर कि वादी अपना खाता तकसीम करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोरी कर रहे है तो उनके मन में बदयान्ति आ गयी है और वह वादी के कब्जा काश्त के रकबा को रहन, बैय करने की फिराक में है अगर वह अपने इस मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार हर्जाना से नही हो सकेगी। वादी अपने हक व हिस्सा के रकबा से महरूम हो जावेगें व आईन्दा मुकदमें बाजी बढ़ेगी, इस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ शाश्वत व्यादेश इस आश्य की जारी की जावे कि वह दौराने वाद वादी के कब्जा काश्त में दख्लांदाजी नही करे। रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायी रखी जावे। पक्षकार ने प्रतिवादी बैंक से ऋण ले रखा है इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया हैं। राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया है लेकिन उससे कोई अनुतोष नही चाहा हैं अन्य प्रतिवादी को–शेयरर है इसलिए उन्हें प्रतिवादी पक्षकार बनाया हैं। वादी को घरू बंटवारानुसार प्राप्त रकबा को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए दावा दायरी के अलावा अन्य कोई विधिक उपचार उपलब्ध नही है इसलिए वादी दावा पेश करने का अधिकारी है। 13. यह कि दावा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में स्थित हैं जो अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर पेश हैं। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

क – घोषित किया जावे कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 20 एल.एन. पी. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 2 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6. 3250 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 10, 11, 20, 21 में 1.0120 हैक्टयर नहरी कुल 7.3370 हैक्टयर नहरी का वादी खातेदार काश्तकार है।

ख – इसी अनुसार खाता तकसीम कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे।

ग– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

घ– प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह दौराने दावा रकबा को अन्य दिगर तरीके से रहन, बैय, मुंतकिल करने से बाज व ममनू रहे ।

च– अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व वादी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी वाद पत्र में प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकारान एक ही परिवार होने के कारण गांव के मौतबिरान व नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

करवा दिया है। हम पक्षकारान की सहमति घरू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष में हिस्सा निम्न प्रकार है:–

1. वादी का हिस्सा :–

चक 20 एल. एन. पी. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नं. 0, के मुरब्बा नं. 2 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.3250 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 10, 11, 20, 21 में 1.0120 हैक्टयर नहरी कुल 7.3370 हैक्टयर नहरी ।

2. प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा:–

चक 6 एचएच के मुरब्बा नं. 38 में 8.05 बीघा व तहसील सादुलशहर के चक 20 एस.पी.एम. के मुरब्बा नं. 21, 22 की 21 बीघा रकबा कुल 29.05 बीघा जो राजस्व रिकार्ड में उसके नाम से दर्ज है।

3. यह कि प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने जद्दी जायदाद में अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया है इसलिए उनको कोई हिस्सा नही दिया गया है।

लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने अपने होशो हवास में बिना किसी नशा पता व जबर दवाब के तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 20 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 3/2, वदी द्वारा भूमि के विरास्तन साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2033– चक 20 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24 पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, जमाबन्दी साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

1. वादी का हिस्सा :–

चक 20 एल. एन. पी. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नं. 0, के मुरब्बा नं. 2 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.3250 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 10, 11, 20, 21 में 1.0120 हैक्टयर नहरी कुल 7.3370 हैक्टयर नहरी ।

2. प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा:–

चक 6 एचएच के मुरब्बा नं. 38 में 8.05 बीघा व तहसील सादुलशहर के चक 20 एस.पी.एम. के मुरब्बा नं. 21, 22 की 21 बीघा रकबा कुल 29.05 बीघा जो राजस्व रिकार्ड में उसके नाम से दर्ज है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 उक्त भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा स्वेच्छा से अपने हक व हिस्सा का परित्याग किया गया है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 11.11.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन् सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर